2009:सीजीएचसी:10431डीबी
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा और

माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक 932/2004

अपीलार्थी

(अभिरक्षा में) सोमदास गोस्वामी

विरुद्ध

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य

दांडिक अपील क्रमांक 928/2004

अपीलार्थी

(अभिरक्षा में) खौमन भारती

विरूद्ध

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु निर्णय

सही/–

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायमूर्ति

माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूँ।

सही/-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायमूर्ति

दिनांक 13-04-2009 के लिए सूचीबद्ध करें ।

सही/-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायमूर्ति

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरमः माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा और

माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक 932, 2004

अपीलार्थी

सोमदास गोस्वामी, पिताः खुमन दास गोस्वामी, उम्र 50 वर्ष,निवासीः 54/1225, शांति विहार कॉलोनी, दंगनीय, रायपुर (छ.ग.) **(अभिरक्षा में)**

विरुद्ध

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, थाना सिमगा, जिला रायपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील क्रमांक 928, 2004

अपीलार्थी

(अभिरक्षा में) खोमन भारती, उम्रः 45 वर्ष, पिताः टिकम भारती, ग्राम झालखनहरिया, थानाः महासमुंद, तहसील/जिलाः महासमुंद (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, थाना सिमगा, जिला रायपुर (छ.ग.)।

दांडिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत अपील का ज्ञापन

उपस्थितः

<u>दांडिक अपील क्रमांक 932-2004</u>

श्री सुरेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री नीरज मेहता के साथ, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादी के लिए।

<u>दांडिक अपील क्रमांक 928-2004</u>

श्री वाई.सी. शर्मा, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादी के लिए।

निर्णय

(दिनांक 13 अप्रैल, 2009 को पारित किया गया)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्ति द्वारा पारित किया गया:

यह निर्णय दांडिक अपील क्रमांक 932, 2004, जो कि अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी द्वारा दायर की गई थी, और दांडिक अपील क्रमांक 928, 2004, जो कि अपीलार्थी खोमन भारती द्वारा दायर की गई थी, को शासित करेगा। दोनों अपीलार्थीयो को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया गया था और उन्हें आजीवन कारावास और ₹5,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, और जुर्माने का भुगतान न करने पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दो साल की अतिरिक्त सश्रम कारावास और दो साल की सश्रम कारावास और ₹1,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, और जुर्माने का भुगतान न करने पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत छह महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी, जो कि प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार द्वारा सत्र मामला क्रमांक 243/2003 में दिनांक 14-10-2004 को दिए गए निर्णय के अनुसार थी।

2. स्वीकारोक्ति के अनुसार, मृतक डॉ. के.डी. सारस्वत, शासकीय महाविद्यालय, सिमगा के प्राचार्य थे और रायपुर में रहते थे। श्रीमती पद्मिनी सारस्वत अ0सा0-14 उनकी विधवा हैं। अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी शासकीय महाविद्यालय सिमगा में प्रोफेसर थे, जबकि अपीलार्थी खोमन भारती एक क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे। मृतक के.डी. सारस्वत ने अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर 23-05-2003 को दोपहर में सिमगा थाना गए थे। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी सोमदास के खेत से कथित तौर पर बरामद किए गए शव के कटे हुए हिस्से के.डी. सारस्वत के थे।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि 23-05-2003 को लगभग 4-5 बजे, के.डी. सारस्वत ने अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर सिमगा थाना गए थे ताकि रायपुर विश्वविद्यालय में जमा करने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल प्राप्त किए जा सकें। थाना से, अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी ने के.डी. को लिया। सारस्वत अपनी मोटरसाइकिल से खोमन भारती के घर गए, जहाँ दोनों अपीलार्थीयो ने के.डी. सारस्वत की हत्या उनके थायरॉइड कार्टिलेज को दबाकर की। के.डी. सारस्वत की मृत्यु दम घुटने से हुई। उनकी हत्या करने के बाद, अपीलार्थीयो ने के.डी. सारस्वत के शव को एक गंडासे से कई टुकड़ों में काट दिया और उन्हें दो बोरी बैग में भर दिया। अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी, जिनके पास गाँव भाटगाँव में कृषि भूमि थी, ने जुगुल, (अ0सा0-10) को बिजली के खंभे लगाने के बहाने अपने खेत में 2 फीट चौड़े और 2 फीट गहरे दो गड्ढे खोदने के लिए कहा। बाद में, अपीलार्थीयो ने जुगुल, अ0सा0-10 द्वारा खोदे गए गड्ढों में के.डी. सारस्वत के कटे हुए शव को दफनाकर हत्या के सबूत को गायब कर दिया। गंडासे को अतिराम लोधी के खेत में छिपा दिया गया था। इसके बाद, खुदाई के निशानों को मिटाने के लिए, अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी ने बालेश ठाकुर, अ0सा0-5 को रात में खेत जोतने के लिए कहा। बालेश ठाकुर ने रात में काम किया। अपीलार्थीयो ने मृतक की घड़ी, मोबाइल फोन, चाबी के छल्ले पुनीत राम साहू के कुएं में फेंक दिए और मृतक का पेन, टिफिन बॉक्स, चश्मा और चप्पल गंडई की ओर सड़क के किनारे फेंक दिए। अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी ने मृतक के कपड़े और बोरी बैग आदि को सिलहटी में अपने ससुराल में एक गड्ढे में जला दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. श्रीमती पद्मिनी सारस्वत ने 24-05-2006 को थाना आजाद चौक, रायपुर में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट को थाना सिमगा में स्थानांतरित कर दिया गया। के.डी. सारस्वत के शव को पांच टुकड़ों में काटा गया और उसे 02.06.2003 और 03.06.2003 को प्रदर्शनी पी.18 और प्रदर्शनी पी.19 के माध्यम से अपीलार्थी -सोमदास गोस्वामी के खेत में गड्ढों से बरामद किया गया। शव की पहचान के.डी. सारस्वत के रूप में हुई।अपीलार्थी -सोमदास गोस्वामी का मेमोरेंडम, के.डी. सारस्वत का सैमसंग मोबाइल फोन 02-06-2003 को पुनीराम साहू के कुएं से बरामद किया गया और जब्त किया गया, जो कि प्र 0पी0-22 में दर्ज है, और मृतक की चाबियों का गुच्छा और घड़ी विनोद गुप्ता के कुएं से बरामद की गई, जो कि सिलहटी में 03-06-2003 को प्र 0पी0-23 में दर्ज है। मृतक का पेन अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी के मेमोरेंडम पर 05-06-2003 को बरामद किया गया, जो कि गंडई और कवर्धा के बीच सड़क किनारे से बरामद किया गया, जो कि प्र 0पी0-27 में दर्ज है। मृतक के पहने हुए कपड़ों की राख मनोरंजन गुप्ता के आंगन में गड्ढे से बरामद की गई, जो कि प्र 0 पी0-24 में दर्ज है। खून से सना गंडासा अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी के मेमोरेंडम पर अतीराम लोधी के खेत से बरामद किया गया, जो कि प्र 0पी0-25 में दर्ज है। श्रीमती पद्मिनी सारस्वत ने प्र 0पी0-13 में घड़ी, मोबाइल फोन और चाबी की पहचान की, जो कि मृतक की थी। अन्य चाबियों से प्रिंसिपल, शासकीय महाविद्यालय, सिमगा की सीलबंद अलमारी और बॉक्स खोले गए। पंचनामा प्र 0पी0-12 नायब तहसीलदार ए. एस. पाइकारा अ0सा0-11 द्वारा तैयार किया गया था। खून से सनी मिट्टी और सादी मिट्टी भी गड्ढों से बरामद की गई। अपीलार्थी -सोमदास गोस्वामी की बजाज बॉक्सर मोटरसाइकिल प्र 0पी0-28 में जब्त की गई।

5. 05.06.2003 को, डॉ. राजकुमार सिंह, अ0सा0-7, प्रोफेसर और जवाहर लाल नेहरू मेडिकल महाविद्यालय, रायपुर में फोरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान विभाग के प्रमुख ने मृतक के.डी. सारस्वत के शरीर के अवशेषों की जांच की और राय दी कि मृत्यु का कारण थायराइड कार्टिलेज पर चोट थी, यानी संपीड़न प्रभाव जो प्रकृति में मृत्यु से पहले हुआ था और कठोर और कुंद वस्तु के

कारण हुआ था। उन्होंने राय दिया कि यदि जीवनकाल में उपास्थि को श्वास नली की ओर संकुचित किया गया हो तो दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। चूंकि कई तेज कटों के स्थल पर कोमल ऊतकों में कोई भी इकामोसिस नहीं दिखा, इसलिए यह राय नहीं दी जा सकी कि के.डी. सारस्वत के शरीर को उनकी मृत्यु से पहले या बाद में काटा गया था या नहीं। दूसरे शब्दों में, यह निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सका कि शरीर के कई स्थानों पर मौजूद तेज कट के प्रभाव मृत्यु से पहले के थे या मृत्यु के बाद के। मृत्यु की सटीक अवधि भी निर्धारित नहीं की जा सकी। गंडासा पर खून नहीं मिला। न्यायिक विज्ञान शाला, रायपुर की रिपोर्ट एक्स.पी-37 देखें। जांच पूरी होने के बाद, अपीलार्थीयो पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

6. अपीलार्थीगण ने अपराध से इनकार किया है और निर्दोष होने का अभिवाक् किया है।

7. अभियोजन पक्ष ने 23 साक्षियों की जांच की। अपीलार्थी-सोमदास गोस्वामी ने डॉ. डी.के. राठौर, को ब0सा01 के रूप में जांच की, यह दिखाने के लिए कि जी.पी.एफ. खाते से आंशिक-अंतिम निकासी 08-11-2002 को के.डी. सारस्वत द्वारा की गई थी और मृतक और अपीलार्थीगण के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे। अपीलार्थी -खोमन भारती ने कोई सबूत पेश नहीं किया। सबूतों की सराहना पर, विद्वान विचरण न्यायाधीश ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियाँ साबित हुईः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क. कि के.डी. सारस्वत के शरीर के टुकड़े अपीलार्थीयो के ज्ञापन पर 02-06-2003 और 03-06-2003 को अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी के गांव भाटगांव के खेत में गड्ढों से बरामद किए गए थे।

ख. कि के.डी. सारस्वत की मृत्यु थायरॉयड कार्टिलेज पर मृत्यु से पहले की चोट के कारण संपीड़न प्रभाव के परिणामस्वरूप हुई।

ग. कि मृतक को आखिरी बार 23-05-2003 को देखा गया था। अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी के साथ थाना सिमगा जा रहे थे, जो अपनी मोटरसाइकिल पर थे।

घ. कि अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी के ज्ञापन पर, मृतक का मोबाइल फोन पुनीत राम साहू के कुएं से जब्त किया गया था।

ङ. कि अलमीरा की चाबियां और प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सिमगा का बक्सा भी अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी के ज्ञापन पर बरामद किया गया था।

च. कि अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी के कहने पर, जुगुल ने अपने खेत में गाँव भटगाँव में दो गड्ढे खोदे थे।

छ. कि जुगल अ0सा0–10 द्वारा खोदे गए गड्ढों में के.डी. सारस्वत के शरीर के कटे हुए हिस्सों को छिपाने के बाद, अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी ने बालेश ठाकुर, अ0सा0–5 को भटगाँव में अपना खेत जोतने के लिए कहा, जो उन्होंने रात में 2.30 बजे तक किया।

ज. कि अपीलार्थीगण के के.डी. सारस्वत के साथ तनावपूर्ण संबंध थे और उनके पास उनकी हत्या करने का हेतुक था।

उपरोक्त निष्कर्षों पर, विद्वान विचरण न्यायाधीश ने माना कि परिस्थितियों की श्रृंखला में उपरोक्त कड़ियाँ अपीलार्थीगण के अपराध के साथ पूरी तरह से सुसंगत थीं और उनकी बेगुनाही के साथ पूरी तरह से असंगत थीं और अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें पैरा 1 पूर्वोक्त में वर्णित अनुसार सजा सुनाई।

8. श्री सुरेंद्र सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलार्थी-सोमदास गोस्वामी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के.डी. सारस्वत की मृत्यु का समय स्थापित करने में विफल रहा क्योंकि डॉ. आर.के. सिंह, अ0सा0–7 ने पैरा 15 में स्पष्ट रूप से बयान दिया था कि मृत्यु की सटीक अवधि का पता लगाना संभव नहीं था। मृतक-के.डी. सारस्वत के कटे हुए शरीर के हिस्से 2 जून और 3 जून, 2003 को खेत से बरामद किए गए, जो कि प्रदर्श पी-18 और पी-19 के माध्यम से थे, जबकि यह स्वीकार किया गया था कि अपीलार्थी -सोमदास गोस्वामी ने के.डी. सारस्वत को 23-05-2003 को थाना सिमगा में अपनी मोटरसाइकिल पर ले गए थे।

इस बात का कोई सबूत नहीं था कि के.डी. सारस्वत थाना से किसके साथ और कहाँ गए थे। इसलिए, अभियोजन पक्ष के.डी. सारस्वत की मृत्यु और अपीलार्थी -सोमदास गोस्वामी के साथ 23-05-2003 को थाना सिमगा में आखिरी बार देखे जाने के बीच निकटता स्थापित करने में विफल रहा। यह तर्क दिया गया था कि अपीलार्थी -सोमदास गोस्वामी द्वारा उन परिस्थितियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था जिनमें मृतक के.डी. सारस्वत के कटे हुए टुकड़े उनके खेत से बरामद किए गए थे, जो इस अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर इशारा करने वाली परिस्थिति नहीं थी कि अपीलार्थी -सोमदास गोस्वामी के.डी. सारस्वत की हत्या में शामिल थे। **राज्य गोवा बनाम संजय थकरान और अन्य। और सुभाष चंद्र नंदा बनाम संजय थकरान और अन्य।, 2007 एआईआर एस.सी.डब्ल्यू. 2226. का अवलंब लिया गया है।** विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि डॉ. आर.के. सिंह, अ0सा0-7 द्वारा मृत्यु के कारण के बारे में दी गई राय अत्यधिक अटकलबाजी वाली राय थी और अभियोजन पक्ष इस बात को स्थापित करने में विफल रहा कि के.डी. सारस्वत की मृत्यु हत्यात्मक थी। डॉ. आर.के. सिंह, अ0सा0-7 इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं थे कि के.डी. सारस्वत के शरीर को काटना मृत्यु से पहले हुआ था या मृत्यु के बाद। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सोमदास गोस्वामी के खेत से के.डी. सारस्वत के शव के अंगों की मात्र बरामदगी से अपीलार्थी -सोमदास गोस्वामी की दोषसिद्धि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत निर्भरता **बख्शीश सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1971 एस.सी. 2016, आनंद भुजंगराव कुलकर्णी बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1993 एस.सी. 110, कान्बी करसन जादव बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1966 एस.सी. 821 पर रखी गई थी। ऑनकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1974 जे.एल.जे. 377 का अवलंब लिया गया है,** यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी के खेत से के.डी. सारस्वत के शव की बरामदगी, सबसे खराब स्थिति में, अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत एक अनुमान की ओर ले जा सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत नहीं। अंततः, यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थीयो को के.डी. सारस्वत की हत्या करने के लिए कोई भी मकसद स्थापित करने में विफल रहा। सरवन सिंह रतन सिंह बनाम पंजाब राज्य और हरबंस सिंह भान सिंह बनाम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पंजाब राज्य, एआईआर [1957 एस.सी. 637], पंजाब राज्य बनाम भजन सिंह और अन्य, राज्य सरकार, मध्य प्रदेश बनाम रामकृष्णा गणपतिराव लिम्सी और अन्य, [एआईआर 1954 एस.सी. 20] और पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, [एआईआर 1952 एस.सी. 354] का भी अवलंब लिया गया है।

9. श्री वाई.सी. शर्मा, अपीलार्थी -खोमन भारती के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने के.डी. सारस्वत की हत्या के लिए अपीलार्थी -खोमन भारती की संलिप्तता को स्थापित करने में विफल रहा, क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई भी सामग्री नहीं थी कि अपीलार्थी खोमन भारती किसी भी तरह से के.डी. सारस्वत की हत्या में शामिल था। अपीलार्थी खोमन भारती का ज्ञापन 02-06-2003 को दोपहर 1 बजे दर्ज किया गया था, जबकि अपीलार्थी सोमदास गोस्वामी का ज्ञापन पहले ही प्रदर्श पी-17 के माध्यम से 02-06-2003 को दोपहर 12 बजे दर्ज किया गया था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि के.डी. सारस्वत के शव के कटे हुए हिस्सों की बरामदगी प्रदर्श पी-18 और पी-19 अपीलार्थी -खोमन भारती के कहने पर हुई थी। **बाली उर्फ बाल्मीकि और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1989 एम.पी.एल.जे., 809 का अवलंब लिया गया ।**

10. इन आधारों पर, यह था दूसरी ओर, श्री यू.एन.एस. देव, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी-खोमन भारती की दोषसिद्धि को रद्द करने की मांग की, और राज्य के लिए उत्तरवादी निर्णय का समर्थन करते हुए, **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर और अन्य, 2000 एस.सी.सी. (दांडिक) 1516, महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश, 2000 एस.सी.सी. (दांडिक) 263 और स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य, (2007) 12 एस.सी.सी. 288 का अवलंब लिया गया ।**

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. विपरीत तर्कों पर विचार करने के बाद, हमने सत्र परीक्षण क्रमांक 243/2003 को अत्यंत सावधानी से पढ़ा है। अपीलार्थीयो की दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। गोवा राज्य बनाम संजय थाकरन और अन्य (पूर्वोक्त), में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की विवेचना के सिद्धांतों को पैरा 13 में दोहराया गया है:

"13. अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जब मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करना चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाया जाना है, वे सुसंगत और दृढ़ता से स्थापित होनी चाहिए।

(2) वे परिस्थितियाँ निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो अभियुक्त की अपराध की ओर इंगित करती हैं;

(3)परिस्थितियाँ, संचयी रूप से, एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण करती हैं कि इस निष्कर्ष से बचने का कोई मार्ग नहीं है कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और किसी और के द्वारा नहीं; और

(4)दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण और स्पष्टीकरण से परे होना चाहिए। "किसी भी अन्य परिकल्पना के अलावा, अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि उसकी निर्दोषता के विरुद्ध भी होना चाहिए।

12. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अब हम वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करेंगे। श्रीमती पद्मिनी सारस्वत अ0सा0-14 ने बयान दिया कि के.डी. सारस्वत सिमगा के कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात थे और दोनों अपीलार्थी उनके अधीन काम करते थे। उन्होंने आगे कहा कि उनके पति रायपुर में बस-स्टैंड के लिए स्कूटर से घर से निकलते थे और बस-स्टैंड पर अपना स्कूटर खड़ा करने के बाद बस से रायपुर से सिमगा और वापस यात्रा करते थे। सिमगा से लौटने पर, वह बस-स्टैंड से अपना स्कूटर उठाएंगे और घर आएंगे। उपरोक्त साक्ष्य पूरी तरह से प्रतिवादित नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि के.डी. सारस्वत ड्यूटी के घंटों के बाद सिमगा से रायपुर के लिए बस का उपयोग करते थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अभिलेख पर पर्याप्त सबूत हैं जो दिखाते हैं कि 23.05.2003 को अपीलार्थी सोमदास के.डी. सारस्वत को अपनी मोटरसाइकिल पर सिमगा थाना ले गए थे। संतोष कुमार यादव, अ0सा0-13 ने बयान दिया है कि 23-05-2003 को जब वह सिमगा के बाजार की ओर जा रहे थे, तो सरोपी टैंक के पास उन्होंने प्रधानाचार्य सारस्वत को अपीलार्थी सोमदास द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे देखा और सिमगा में टाउनशिप की ओर जाते हुए देखा। धनंजय पांडे अ0सा0-12, जो शासकीय महाविद्यालय, सिमगा में एक लिपिक हैं, ने बयान दिया कि सोमदास गोस्वामी के साथ अपनी बॉक्सर मोटरसाइकिल पर जाने से पहले, के.डी. सारस्वत ने उन्हें बताया था कि वह उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल जमा करने के लिए थाना जा रहे हैं। शेष कुमार चंद्रवंशी अ0सा0-4 ने भी साक्ष्यकी पुष्टि की है। संतोष कुमार यादव, अ0सा0-13. उन्होंने आगे बयान दिया कि के.डी. सारस्वत ने बिस्नाथ अ0सा0-3 को थाना से रायपुर विश्वविद्यालय तक उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल ले जाने के लिए कहा था और उसके बाद बिस्नाथ अ0सा0-3 अपनी साइकिल से थाना भी गए थे। बिस्नाथ अ0सा0-3 ने बयान दिया कि 23.05.2003 को के.डी. सारस्वत ने उनसे सिमगा थाना पहुंचने और वहां से उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल जमा करने के लिए रायपुर विश्वविद्यालय जाने को कहा था। उन्होंने आगे बयान दिया कि के सारस्वत अपीलार्थी सोमदास की मोटरसाइकिल पर सिमगा थाना गए थे। यह ध्यान देने योग्य है कि बिस्नाथ अ0सा0-3 ने बयान दिया था कि थाना पहुंचने पर, उन्होंने के.डी. सारस्वत और अपीलार्थी सोमदास को वहां बैठे हुए पाया और उत्तर पुस्तिकाओं को उन्हें सौंपने के बाद के.डी. सारस्वत ने उनसे कहा था कि उन्हें देर हो जाएगी क्योंकि उन्हें कुछ काम करना है और उसके बाद अपीलार्थी सोमदास उन्हें बस-स्टैंड पर छोड़ देंगे। यह साक्ष्य पूरी तरह से प्रतिपरीक्षा में अप्रतिबंधित है और स्पष्ट रूप से इस तथ्य का सुझाव देती है कि के.डी. सारस्वत का इरादा सिमगा थाना छोड़ने के बाद अपीलार्थी सोमदास के साथ रहना था और अपीलार्थी सोमदास ने उन्हें बस-स्टैंड पर छोड़ने का आश्वासन दिया था।

14. धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपनी परीक्षा में, प्रश्न क्रमांक 8 और 10 के उत्तर में, अपीलार्थी सोमदास ने स्वीकार किया था कि उन्होंने 23.05.2003 को के.डी. सारस्वत को अपनी मोटरसाइकिल पर थाना ले गए थे। अब, यदि बिस्नाथ अ0सा0-3, शेष कुमार चंद्रवंशी अ0सा0-4, संतोष कुमार यादव अ0सा0-13 और धनंजय अ0सा0-12 की साक्ष्य को श्रीमती पद्मिनी सारस्वत अ0सा0-14 की साक्ष्य के आलोक में माना जाता है, तो यह स्पष्ट होगा कि सिमगा थाना पर काम खत्म करने के बाद, के.डी. सारस्वत ने थाना छोड़ दिया होगा। अपीलार्थी सोमदास की मोटरसाइकिल पर और किसी अन्य तरीके से नहीं। अपीलार्थी सोमदास की धारा 313 द . प्र. स के तहत स्पष्टीकरण कि के. डी. सारस्वत को सिमगा थाना पर छोड़ने के बाद वह चला गया, इस प्रकार अस्वीकार्य है। के.डी. सारस्वत को बस से रायपुर जाने के लिए बस स्टैंड जाना था। वह शासकीय महाविद्यालय, सिमगा के प्रधानाचार्य थे और अपीलार्थी सोमदास के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर थाना सिमगा गए थे। बिस्नाथ अ0सा0-3 की साक्ष्य साबित करती है कि के.डी. सारस्वत ने उसे बताया था कि उसे कुछ काम था और वह बाद में रायपुर आएगा और अपीलार्थी सोमदास उसे बस स्टैंड पर छोड़ देगा। इसलिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 23.05.2003 को के.डी. सारस्वत ने, थाना पर बिस्नाथ अ0सा0-3 को उत्तर पुस्तिकाएं सौंपने के बाद, अपीलार्थी सोमदास के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर थाना छोड़ दिया। हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस अनिवार्य निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि के.डी. सारस्वत 23.05.2003 को थाना सिमगा से अपीलार्थी सोमदास के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर गए थे। अपीलार्थी सोमदास ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसने के. डी. सारस्वत को 23-05-2003 को थाना से अपनी मोटरसाइकिल पर कहाँ ले गया। निश्चित रूप से के.डी. सारस्वत 23-05-2003 को थाना छोड़ने के बाद अपीलार्थी सोमदास की मोटरसाइकिल पर रायपुर जाने के लिए बस पकड़ने के लिए सिमगा बस स्टैंड तक नहीं पहुंचे।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. यह सच है कि अभियुक्त की दोषसिद्धि को उचित संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। न्यायालय, प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण आदि के सामान्य क्रम को ध्यान में रखते हुए, सिद्ध तथ्यों से अनुमान लगाकर तर्क का उपयोग करते हुऐ। एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर और अन्य (पूर्वोक्त) में, उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया है।

> "यह मूल नियम कि अभियोजन पक्ष पर आरोपी की दोषसिद्धि को साबित करने का भार है, को एक जीवाश्म सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, जैसे कि यह बुद्धिमान तर्क की कोई प्रक्रिया स्वीकार करता है। धारणा का सिद्धांत उपरोक्त नियम से अलग नहीं है, और न ही यह नियम के स्वभाव को कमजोर करेगा। दूसरी ओर, यदि अभियोजन पक्ष के सबूत के पारंपरिक नियम को पेडैंटिक कवरेज में लपेटा जाने की अनुमति दी जाती है, तो गंभीर अपराधों में अपराधी प्रमुख लाभार्थी होंगे और समाज हताहत होगा।
>
> (पैरा 31)
>
> तथ्य की धारणा कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व से एक तथ्य के अस्तित्व के बारे में एक अनुमान है, जब तक कि ऐसे अनुमान की सच्चाई को गलत साबित नहीं किया जाता है। तथ्य की धारणा साक्ष्य के विधि में एक नियम है कि एक तथ्य जो अन्यथा संदिग्ध है, कुछ अन्य सिद्ध तथ्यों से अनुमान लगाया जा सकता है। जब सिद्ध तथ्यों के अन्य सेट से एक

तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है, तो न्यायालय तर्क की एक प्रक्रिया का प्रयोग करती है और सबसे संभावित स्थिति के रूप में एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचती है। उपरोक्त सिद्धांत को भारत में विधायी मान्यता प्राप्त हुई है जब धारा 114 को साक्ष्य अधिनियम में शामिल किया गया है। यह न्यायालय को किसी भी ऐसे तथ्य के अस्तित्व को मानने का अधिकार देता है जो होने की संभावना है। उस प्रक्रिया में न्यायालय को प्राकृतिक घटनाओं के सामान्य पाठ्यक्रम, मानव आचरण आदि पर मामले के तथ्यों के संबंध में ध्यान देना होगा।

(पैरा 33)

इस संदर्भ में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में निहित सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। यह धारा अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे आरोपी की दोषसिद्धि को साबित करने के अपने बोझ से मुक्त करने के लिए अभिप्रेत नहीं है। लेकिन धारा उन मामलों पर लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है जिनसे एक उचित अनुमान लगाया जा सकता है।

अन्य तथ्यों की मौजूदगी के संबंध में, जब तक कि अभियुक्त ने ऐसे तथ्यों के संबंध में अपने विशेष ज्ञान के आधार पर कोई ऐसी व्याख्या करने में विफल रहता है जो न्यायालय को एक अलग निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सके।

(पैरा 37)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश (पूर्वोक्त) में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया था:

"तीन संभावनाएँ हैं जब एक अभियुक्त उस स्थान को इंगित करता है जहाँ एक मृत शरीर या एक आपत्तिजनक साक्ष्य छिपाया गया था, बिना यह बताए कि उसे उसके द्वारा छिपाया गया था। एक यह है कि उसने स्वयं इसे छिपाया होगा। दूसरा यह है कि उसने किसी और को इसे छिपाते हुए देखा होगा। और तीसरा यह है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति ने बताया होगा कि इसे वहां छिपाया गया था। लेकिन अगर अभियुक्त दांडिक न्यायालय को यह बताने से इनकार करता है कि छिपाने की जानकारी मिली अंतिम दो संभावनाओं में से एक के कारण, तो दांडिक न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है कि इसे अभियुक्त ने स्वयं छिपाया था ऐसा इसलिए है क्योंकि अभियुक्त ही एकमात्र व्यक्ति है जो यह स्पष्टीकरण दे सकता है कि उसे इस तरह के छिपाने के बारे में कैसे पता चला, और यदि वह न्यायालय को यह बताने से परहेज करता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला, तो यह अनुमान लगाना उचित है कि दांडिक न्यायालय द्वारा यह माना जाए कि छिपाने का कार्य उसके द्वारा किया गया था। ऐसी व्याख्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में निहित सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।"

17. डॉ. कमल नारायण आर्य अ0सा0-15 ने कहा कि दोनों अपीलार्थीगण के कहने पर के.डी. सारस्वत के मृत शरीर के कई हिस्से अपीलार्थी सोमदास के गांव भातगांव में 02-06-2003 और 03-06-2003 को दो गड्ढों से बरामद किए गए थे और उसके बाद पंचनामा प्र 0पी0-18 और पी-19 तैयार किया गया था। जे.एल. ध्रुव, नायब तहसीलदार अ0सा0-17 ने साक्ष्य दी कि दोनों अपीलार्थीगण ने 02.06.2003 और 03-06-2003 को पुलिस के साथ, अपीलार्थी सोमदास के खेत में, गाँव भटगाँव में

जहाँ दोनों अपीलार्थीगण ने उस स्थान की ओर इशारा किया था जहाँ के.डी. सारस्वत के शव के हिस्से दफनाए गए थे। उसने पंचनामा प्र 0 पी0-10 साबित किया है और फिर से स्पष्ट रूप से कहा है कि पैराग्राफ 3 में दोनों अपीलार्थीगण ने 02-06-2003 को अपीलार्थी सोमदास के खेत में उस जगह की ओर इशारा करने के बाद, जहाँ मृतक के कटे हुए शरीर को दफनाया गया था, उन्हें 03-06-2003 को भटगाँव गाँव में सोमदास के एक और खेत में ले जाया गया और उस स्थान की ओर इशारा किया गया जहाँ मृतक के शरीर के कुछ हिस्से दफनाए गए थे। इस साक्षी ने पंचनामा प्र 0 पी0-18 और P-19 साबित किया है। उसकी क्रॉस-परीक्षा में यह अविश्वास करने के लिए कुछ भी नहीं है कि के.डी. सारस्वत के शव के कटे हुए हिस्से अपीलार्थी सोमदास के खेत से दो स्थानों पर बरामद किए गए थे अपीलार्थीगण द्वारा इंगित स्थानों पर खुदाई करने के बाद। डॉ. कमल नारायण आर्य अ0सा0-15 ने बयान दिया कि दोनों अपीलार्थीगण ने, पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर, बताया कि मृतक के शरीर के हिस्से भटगाँव में अपीलार्थी सोमदास के खेत में दफनाए गए थे और ऐसे ज्ञापन प्र 0 पी0-16 और प्र 0 पी0-17 दोनों अपीलार्थीगण ने, सोमदास के खेत में ले जाने के बाद, पुलिस को उस स्थान की ओर इशारा किया जहाँ मृतक के शरीर के हिस्से दफनाए गए थे। उसने आगे कथनों दी है कि गंडासा अपीलार्थी सोमदास की सलाह पर प्र 0 पी0-25 के माध्यम से बरामद किया गया था। मृतक की चाबियाँ और घड़ी कुएं से प्र 0 पी0-23 के माध्यम से ब सारस्वत रामद की गई और मोबाइल फोन एक साहू के कुएं से जब्ती ज्ञापन प्र 0 पी0-22 के माध्यम से बरामद किया गया। रंजीत चौहान अ0सा0-2 ने बयान दिया है कि सिम कार्ड नंबर 90667 के.डी. के नाम पर पंजीकृत था। डॉ. कमल नारायण आर्य अ0सा0- 15 की साक्ष्य साबित करती है कि उसने पहचाना था कि खेत से बरामद शरीर के हिस्से अपीलार्थी सोमदास, के.डी. सारस्वत के थे। अभियोजन पक्ष का साक्ष्य इस प्रकार साबित करता है कि अपीलार्थीगण का ज्ञापन दर्ज करने के बाद, उन्होंने पुलिस को अपीलार्थी सोमदास के खेत में ले गए और उस स्थान की ओर इशारा किया जहाँ के.डी. सारस्वत के शव के हिस्से गड्ढे में छिपे थे। इस प्रकार यह निर्विवाद रूप से स्थापित हो गया है कि अपीलार्थीगण के कहने पर, के.डी. सारस्वत के शव के कटे हुए हिस्से 02.06.2003 और 03.06.2003 को अपीलार्थी सोमदास के खेत से प्रदर्श पी.16 और प्रदर्श पी.17 के माध्यम से बरामद किए गए थे।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. 23.05.2003 के दिन शुक्रवार था। जुगुल अ0सा0-10 ने पैरा 4 में बयान दिया है कि शनिवार को अपीलार्थी सोमदास ने उसे भातगांव गाँव में अपने खेत में 2 x 2 फीट आकार के दो गड्ढे खोदने के लिए कहा था, इस दावे पर कि वहां बिजली के खंभे लगाने थे। उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जब उसने अपीलार्थी सोमदास के खेत में दो गड्ढे खोदे, तो खेत की जुताई नहीं की गई थी। अपीलार्थी सोमदास की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि उसने जुगुल अ0सा0-10 को अपने खेत में 2 x 2 फीट आकार के दो गड्ढे खोदने के लिए क्यों कहा। अपने नौकर होने के नाते, जुगुल अ0सा0-10 अपीलार्थी सोमदास की रक्षा करने में अत्यधिक रुचि रखता था और अपीलार्थी सोमदास के खिलाफ झूठा दावा नहीं करेगा।

19. बालेश ठाकुर अ0सा0-5 की पूरी तरह से अप्रतिबंधित साक्ष्य साबित करती है कि अपीलार्थी सोमदास के कहने पर उसने रात में भातगांव गाँव में अपीलार्थी सोमदास के खेत की जुताई की थी और पुलिस ने उससे 4-5 दिन बाद पूछताछ की थी। यह निर्विवाद रूप से स्थापित हो गया है कि वह खेत जहां मृतक के शरीर के हिस्से थे। अपीलार्थीगण द्वारा दफनाया गया था जिसे बालेश ठाकुर अ0सा0-5 ने देर रात तक जोता था। अपीलार्थीगण ने अपनी विशेष जानकारी के आधार पर, जहां के.डी. सारस्वत के शरीर के कटे हुए हिस्से दफनाए गए थे, उनकी निशानदेही पर अपीलार्थी सोमदास के खेत से बरामद किए गए थे। अपीलार्थीगण ने कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहे हैं जो न्यायालय

को एक अलग निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सके। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत तथ्य की खोज के संबंध में विधि को ध्यान में रखते हुए, के.डी. सारस्वत के शरीर के हिस्सों की अपीलार्थी सोमदास के खेत से बरामदगी से संबंधित साक्ष्य पर उचित रूप से विचार किया है। हमने एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं पाया।

20. यह तर्क कि अभियोजन यह स्थापित करने में विफल रहा है कि के.डी. सारस्वत की मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी, को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। डॉ. आर.के.सिंह अ0सा0-7 ने गर्दन के कशेरुकाओं की जांच पर इस प्रकार बयान दिया:

> “3. गर्दन की मेरूदंड की हड्डियों में कोमल उतक जो हरे काले रंग के सड़े हुये अवस्था में थे, हड्डियो से चिपके हुये थे। थायराइड उपास्थित, किकायउपास्थि तथा ट्रेकिया के उपास्थि सूक्ष्म रूप में मौजूद पाये थे, जिसमें कोमल उतक चिपके हुये थे। थायराइड उपास्थित के बॉडी के मध्य भाग पर दाहिने ओर उपास्थि दबी हुई पायी गयी थी और इस भाग के कोमल उत्तक में लालिमा हुये इकामोसिस मौजूद थी।
>
> ....
>
> थायराइड उपास्थि में पायी गयी चोट ताजी थी. मृत्यु पूर्व की थी और मृतक की मृत्यु से 24 घंटे पूर्व के बीच की अवधि में किसी सख्त एवं बोथरे वस्तु के द्वारा कारित हुई थी।“

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पैरा 15 में, डॉ. आर.के. सिंह ने के.डी. सारस्वत की मृत्यु के कारण के बारे में इस प्रकार बयान दिया:

> 15. ---------
>
> (6) मृत्यु का कारण थायराइड उपास्थि पर दबावयुक्त पायी गयी चोट, मृत्यु पूर्व की थी और दबने के फलस्वरूप (यदि वह दबाव जीवन काल में हो) तो श्वास नली के अवरूद्ध होने की संभावना थी। जिससे मृत्यु संभावित थी।"

उपरोक्त राय से यह निर्विवाद रूप से पता चलता है कि थायराइड उपास्थि पर लगी चोट मृत्यु से पहले की थी और मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। जहां तक शरीर के कई स्थानों पर मौजूद तेज कट प्रभाव का सवाल है, डॉ. आर.के. सिंह ने राय दी कि चूंकि कोमल ऊतकों में कोई चोट नहीं दिखाई दी, इसलिए यह स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वे मृत्यु से पहले की थीं या मृत्यु के बाद की, जिसका अर्थ है कि गंडासे से के.डी. सारस्वत के शरीर के कई हिस्सों में टुकड़े-टुकड़े करना भी मृत्यु के बाद हुआ हो सकता है, लेकिन जहां तक थायराइड उपास्थि पर पाई गई चोट का सवाल है, डॉ. आर.के. सिंह, कोमल ऊतकों में लालिमा के कारण, इस बात से सहमत थे कि मृत्यु इस चोट के परिणामस्वरूप हो सकती है जो मृत्यु से पहले की थी। हमारी राय में, डॉ. आर.के. सिंह की साक्ष्य स्थापित करती है कि के.डी. सारस्वत की मृत्यु थायराइड उपास्थि को दबाने के परिणामस्वरूप दम घुटने से हुई थी और यह प्रकृति में मृत्यु से पहले की थी। इस प्रकार यह स्थापित होता है कि के.डी. सारस्वत की मृत्यु हत्या के कारण हुई थी।

21. डॉ. कमल नारायण आर्य अ0सा0-15 की कथनों और निरीक्षक जनीराम ध्रुव अ0सा0-21 की कथनों से यह साबित होता है कि अपीलार्थी सोमदास के कहने पर के.डी. सारस्वत का सेल फोन पुनीत राम साहू के कुएं से बरामद किया गया था, जो जब्ती ज्ञापन प्र0पी0-22 के माध्यम से बरामद किया गया था। और अलमारी की चाबियाँ और प्रिंसिपल, शासकीय महाविद्यालय सिमगा के बक्से को भी अपीलकर्ता सोमदास की ओर से बरामद किया गया था गोस्वामी को विनोद कुमार गुप्ता के कुएं से जो कि प्र0पी0-23 में दर्ज है। ए. एस. पैकारा, अ0सा0-11 की साक्ष्य साबित करती है कि अपीलकर्ता सोमदास की ओर से बरामद चाबियों ने अलमारी और के. डी. सारस्वत के कार्यालय के बक्से को फिट किया और खोला।

22. श्रीमती पद्मिनी सारस्वत, अ0सा0-14 ने पैरा 8 में बयान दिया है कि के.डी. सारस्वत के अपीलार्थीगण के साथ तनावपूर्ण संबंध थे क्योंकि के.डी. सारस्वत द्वारा जी.पी.एफ. की आंशिक अंतिम राशि अपीलार्थीगण द्वारा ली गई थी और के.डी. सारस्वत को शासकीय महाविद्यालय सिमगा से कंप्यूटर की चोरी में अपीलार्थीगण की संलिप्तता का संदेह था।

23. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर समग्र रूप से विचार करने के बाद, निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:

क) कि मृतक को अपीलार्थी सोमदास के साथ अंतिम बार देखा गया था, क्योंकि उसने सोमदास के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर थाना सिमगा की यात्रा की थी;

ख) कि के.डी. सारस्वत ने बिस्नाथ अ0सा0-3 को थाना सिमगा में बताया था कि वह कुछ काम पूरा करने के बाद आएगा और अपीलार्थी सोमदास उसे बस-स्टैंड पर छोड़ देगा; जिससे यह अटूट अनुमान लगता है कि मृतक ने अपीलार्थी सोमदास के साथ थाना सिमगा से अपनी मोटरसाइकिल पर यात्रा की थी, लेकिन रायपुर के लिए बस नहीं ली;

ग) कि अपीलार्थी सोमदास ने जुगुल अ0सा0-10 को घटना के एक दिन बाद, गाँव भटगाँव में अपने खेत में दो गड्ढे खोदने के लिए कहने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया;

घ) कि उसके बाद बालेश ठाकुर अ0सा0-5 ने रात में अपीलार्थी सोमदास के खेत की जुताई की, जिसके लिए अपीलार्थीगण ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया;

ङ) के.डी. सारस्वत के कटे हुए शरीर के अंग अपीलार्थीगण की पहल पर अपीलार्थी सोमदास के खेत में गड्ढों से बरामद किए गए, जिसके लिए अपीलार्थीगण द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया;

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

च) कि के.डी. सारस्वत का सेल फोन भी अपीलार्थी सोमदास की पहल पर पुनीत राम साहू के कुएं से बरामद किया गया, जिसके लिए अपीलार्थी सोमदास द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया;

छ) प्रिंसिपल शासकीय महाविद्यालय सिमगा के अलमारी और बॉक्स की चाबियाँ भी अपीलार्थीगण की पहल पर बरामद की गईं;

ज) कि मृतक के.डी. सारस्वत का अपीलार्थीगण के साथ तनावपूर्ण संबंध था।

24. हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले में ऐसे विश्वसनीय और दुर्जेय परिस्थितियाँ प्रस्तुत की हैं जो एक पूर्ण श्रृंखला बनाती हैं और निर्विवाद रूप से इस अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर इशारा करती हैं कि के.डी. सारस्वत की हत्या अपीलार्थीगण द्वारा की गई थी और उसके बाद अपीलार्थी सोमदास ने जुगुल अ0सा0-10 को गांव भटगांव में अपने खेत में दो गड्ढे खोदने के लिए कहा था और उसके बाद के.डी. सारस्वत के कटे हुए शरीर के अंगों को उन गड्ढों में दफना दिया था। तत्पश्चात, अपीलार्थी सोमदास ने रात में बालेश ठाकुर अ0सा0-5 द्वारा खेत की जुताई करवाई। पुलिस ने अपीलार्थीगण की पहल पर गड्ढों से के.डी. सारस्वत के शरीर के अंगों को बरामद किया था। यदि हम विचरण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हैं और ऐसे घृणित अपराध के दोषियों को बरी करते हैं तो दांडिक न्याय एक दुर्घटना बन जाएगा। उपरोक्त उल्लिखित परिस्थितियों से, यह माना जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष ने दोनों अपीलार्थीगण के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने का अपना भार सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हम अनुमानित राय है कि ऊपर वर्णित परिस्थितियाँ मिलकर एक ऐसी श्रृंखला बनाती हैं कि इस सारस्वत में से कोई भी बचने का रास्ता नहीं है, इस निष्कर्ष से कि सभी मानवीय संभावनाओं में के.डी. की हत्या अपीलार्थीगण के अलावा किसी और ने नहीं की थी, जिन्होंने हत्या के सबूत को मिटाने के लिए के.डी. सारस्वत के शरीर को खेत में गड्ढों में फेंक दिया था और परिस्थितियाँ अपीलार्थी सोमदास की गलती के अलावा किसी अन्य परिकल्पना के लिए सक्षम नहीं थीं और अपीलार्थीगण की बेगुनाही के साथ पूरी तरह से असंगत थीं। ऊपर वर्णित परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से स्थापित किया गया है। इसलिए, हमारी राय है कि प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोदा बाजार ने अपीलार्थीगण को धारा 302 और 201 के तहत सही ढंग से दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. परिणामस्वरूप, दोनों दांडिक अपीलें योग्यता से रहित हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं।

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायमूर्ति

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायमूर्ति

___00___

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Shruti Navratna

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur